(16)

छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

विपणन संघ

880, सिविल-लाईन्स, मुख्यालय-रायपुर (छ०ग०)
दूरभाष नंबर : 0771–2445770 फैक्स नंबर : 2424017

किराये का वाहन हेतु निविदा प्रपत्र

अवधि दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016

कार्यालय
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
880 सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित्
880, सिविल लाईन्स, मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) 492001

किराये का वाहन हेतु निविदा

विषय सूची

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक से पृष्ठ क्रमांक तक
01	निविदाकार से संबंधित जानकारी	01 से 02
02	निविदा शर्तें/निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनायें	03 से 04
03	निविदाकर्त्ता का परिचय एवं विवरण भाग (क) तकनीकी लिफाफा हेतु परिशिष्ट –01	05 से 06
04	किराये के वाहन हेतु निविदा दर भाग (ख) वित्तीय लिफाफा हेतु परिशिष्ट –02	07 से 08
05	निविदाकर्त्ता से इकरारनामा का प्रारूप परिशिष्ट –03	09 से 10
06	सत्यनिष्ठा संधि परिशिष्ट –04	11 से 16

1) निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर कर अपने सील अंकित की जावेगी। समस्त परिशिष्ट निविदा दस्तावेज के अभिन्न अंग माने जायेंगे।

2) समस्त निविदाकारों से अनुरोध है कि वे उक्त परिशिष्टों का गहन अध्ययन करने के उपरांत ही अपनी दरें प्रस्तुत करें ताकि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा विधिवत रूप से प्रस्तुत हो सके।

कार्यालय
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
880 सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
880, सिविल–लाईन्स, मुख्यालय–रायपुर (छ0ग0)

किराये का वाहन हेतु निविदा
अवधि 01.04.2015 से 31.03.2016

1.	निविदाकार का पूरा नाम एवं पता	:	.....
			.....
			.....
2.	दूरभाष कमांक / मोबाईक न.	:	.....
			.....
			.....
3.	निविदाकार का स्वरूप (फर्म / कंपनी / स्वामित्व / हिन्दू अविभाजित परिवार)	:	.....
4.	ट्रेवल्स का नाम एवं पता	:	.....
			.....
5.	निविदा फार्म का मूल्य	:	रू. 500 / – (समस्त कर सहित)
6.	निविदा फार्म नकद कय की जानकारी	:	मनी रसीद नं..... दिनांक .....
7.	निविदा जमा करने का अंतिम दिनांक	:	दिनांक 17.03.2015 को अपरान्ह 2.00 बजे
8.	निविदा खोले जाने का दिनांक, समय	:	दिनांक 17.03.2015 को अपरान्ह 3.30 बजे
	एवं स्थान	:	सिविल लाईन, कटेला भवन, रायपुर

टिप्पणी

1. निविदा खोलने के लिये निर्धारित तारीख को यदि अवकाश घोषित किया जाता है, तो निविदा अवकाश के पश्चात् अगले कार्यकारी दिवस को खोली जायेगी लेकिन निविदा खोलने के उपरोक्त दर्शाये गये समय में परिवर्तन नहीं होगा।
2. **निविदा प्रपत्र विपणन संघ की वेबसाईट www.cgmarkfed.in पर अवलोकन हेतु उपलब्ध है, किन्तु वेबसाईट से डाउनलोड कर भरी हुई निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।**
3. प्रमाणित किया जाता है कि इस निविदा पप्रत्र में पृष्ठ कमांक 1 से 16 तक है।

निविदा फार्म जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम एवं पदमुद्रा

जारीकर्ता कार्यालय.....
जारी दिनांक .....

कार्यालय
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
880 सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, मुख्यालय रायपुर

विपणन संघ के कार्य हेतु किराये के वाहन के लिए

निविदा शर्ते

1. विपणन संघ के कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये निर्धारित प्रारूप में दो सील बंद लिफाफों में जिसमें एक तकनीकी लिफाफा (परिशिष्ठ–01) एवं दूसरा वित्तीय लिफाफा (परिशिष्ठ–02) अलग–अलग होगा तथा तकनीकी एवं वित्तीय लिफाफे को एक बड़े सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा।

2. (अ) तकनीकी लिफाफा (परिशिष्ठ–01) में निम्नानुसार दस्तावेज होना अनिवार्य है –

   1. न्यूनतम 05 वाहन का पंजीयन टैक्सी परमिट के रूप में होने संबंधी प्रमाण पत्र।
   2. ट्रेवल्स व्यवसाय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र (परिवहन विभाग द्वारा प्रदत्त)
   3. वाहन के वर्ष 2012 तथा इसके बाद का क्रय के संबंध में दस्तावेज।
   4. रोड टैक्स, बीमा (वाहन चालक तथा वाहन का) तथा वाहन चालक का जीवित ड्राईविंग लाईसेंस।
   5. वाहनों की पंजीयन संख्या तथा वाहन चालकों का मोबाईल नम्बर।
   6. वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र।
   7. गत दो वर्षों का आयकर रिटर्न की प्रति।

   (ब) वित्तीय लिफाफे में दरें मासिक आधार पर प्रतिदिन किराया दर में वाहन 100 कि.मी., अर्ध दिवस (6 घण्टे 50 कि.मी.), के अनुसार पृथक–पृथक निविदा के परिशिष्ट–03 में दर्शायें तालिका अनुसार दी जावे।

3. वाहन का उपयोग छत्तीसगढ़ राज्य में कहीं भी किया जा सकेगा।
4. वाहन चालक का वेतन, भत्ता आदि वाहन मालिक को देना होगा एवं वाहन चालक को अपने पास मोबाईल अनिवार्य रूप से चालू हालत में रखना होगा तथा मोबाईल नम्बर विपणन संघ में नोट कराना होगा।
5. किराये की गणना मासिक आधार पर विपणन संघ के अधिकार में वाहन आने के पश्चात से मानी जावेगी तथा दूरी की गणना विपणन संघ द्वारा वाहन रखे जाने हेतु निर्धारित किये गये स्थान से की जावेगी तथा किराये की गणना 3000 कि.मी. मासिक किराया का आधार मानकर औसत आधार पर किया जावेगा।
6. वाहन के रखरखाव से संबंधित सभी व्यय वाहन के मालिक को वहन करना होगा।
7. सिक्युरिटी डिपाजिट के रूप में राशि 10,000/– रूपये प्रति वाहन हेतु बैंक ड्राफ्ट, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, के नाम से देय होगा जिसे निविदा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. वाहन का टायर ट्यूब एवं स्टेपनी हमेशा अच्छी हालत में अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
9. चालक द्वारा प्रतिदिन वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी से लॉगबुक लिखाना एवं प्रमाणित कराना होगा एवं हस्ताक्षर करवाना होगा। उसी के आधार पर किराया देय होगा।

कार्यालय
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
580 सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)

10. वाहन चालक को साफ–सुथरा कपड़ा में अनुशासित एवं मर्यादित व्यवहार में रहना होगा।
11. वाहन का माईलोमीटर विधिवत कार्य करना चाहिए।
12. वाहन संतोषप्रद नहीं चलने पर अथवा वाहन चालक का व्यवहार खराब होने के कारण वाहन कभी भी वापस भेज दी जावेगी।
13. ट्रेवल्स एजेन्सी द्वारा वाहन उपलब्ध नहीं कराने पर विभाग द्वारा अन्य ट्रेवल्स एजेन्सी से व्यवस्था की जाती है तो वाहन किराये की अंतर की राशि संबंधित ट्रेवल्स से वसूली की जावेगी।
14. अनुबंध अवधि के अंतर्गत वाहन की सुरक्षा का सम्पूर्ण दायित्व ट्रेवल्स एजेन्सी/वाहन चालक का रहेगा। उपयोग अवधि में किसी भी प्रकार की घटना/दुर्घटना से यदि वाहन/जान माल को कोई क्षति पहुंचती है तो इसकी जवाबदारी विपणन संघ की नही होगी।
15. वाहन किराये पर लेने व न लेने का अधिकार अथवा किसी भी एजेन्सी का वाहन किराये पर लेने का अधिकार विपणन संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
16. वाहन की लॉग बुक/लॉग कार्ड प्रतिदिन अनिवार्य रूप से वाहन चालक को नियमानुसार भरना होगा एवं संबंधित अधिकारी से प्रतिदिन हस्ताक्षर लिया जाना होगा व उक्त लॉग बुक/लॉग कार्ड मूलतः कार्यालय में देयक से साथ जमा करना होगा हो कि शासकीय अभिलेख होगा।
17. विपणन संघ द्वारा आवश्यकता नहीं होने पर किसी भी समय वाहन बंद किया जा सकता है।
18. अनुबंधकर्ता द्वारा देयक मासिक आधार पर प्रत्येक माह की समाप्ति के एक सप्ताह की अवधि में देयक तीन प्रतियों में मय लॉग बुक/लॉग कार्ड के साथ प्रस्तुत किया जाना होगा तथा इस देयक का भुगतान 10 दिवस की अवधि में चेक के माध्यम से किया जा सकेगा।
19. देयक से नियमानुसार आयकर की कटौती होगी। वाहन स्वामी द्वारा निविदा के साथ पेन कार्ड की छायाप्रति देना होगा। अन्यथा नियमानुसार दुगनी दर से आयकर कटौती होगी। वाहन मालिक अन्य टैक्स/आयकर/सेवा शुल्क आदि भुगतान के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।
20. वाहन एवं वाहन चालक की पूर्ण जोखिम वाहन स्वामी का होगा। विपणन संघ की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
21. वाहन को विपणन संघ के परिसर/उपयोगकर्ता के निवास अथवा निर्देशानुसार स्थान में रखना होगा।
22. किसी प्रकार के विवादित वाहन मान्य नहीं होगा। इस प्रकार के वाहन उपलब्ध कराये जाने पर समस्त जवाबदारी ट्रेवल्स एजेन्सी की होगी।
23. **जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जाती है, उसे स्वीकृत दरों पर दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 की अवधि हेतु परिशिष्ट–04 अनुसार 50 रू. के स्टाम्प पेपर में अनुबंध करना अनिवार्य होगा।**
24. **ट्रेवल्स अभिकर्ता व्यवसाय के लिए अनुज्ञप्ति वैधानिक पंजीयन होना अनिवार्य होगा।**

कार्यालय
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
40 सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)

परिशिष्ट –1

भाग – "क"

(तकनीकी लिफाफा हेतु)
निविदाकर्ता का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण

प्रति,

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.
मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़)

1. निविदकार का पूरा नाम एवं पता : .....
.....
.....

2. दूरभाष कमांक / मोबाईल न. : .....
.....
.....

3. निविदाकार का स्वरूप : .....
(फर्म / कंपनी / स्वामित्व / हिन्दू अविभाजित परिवार)

4. ट्रेवल्स एजेन्सी का नाम एवं पता : .....
.....
.....

5. ट्रेवल्स एजेनसी के नाम कितने वाहन : .....
(गाड़ी का नाम एवं संख्या)
(पंजीयन एवं फिटनेस की सत्य प्रति संलग्न करें) .....
.....
.....

6. निर्धारित जमा की गई अमानत राशि का विवरण : .....

रूपये कुल .....
बैंक ड्राफ्ट नंबर .....

बैंक का नाम .....

7. संलग्न निविदाकार के हस्ताक्षरित इकरारनामा : .....
8. संलग्न सत्यनिष्ठा संधि
9. इस दस्तावेज के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची (निविदा शर्त कमांक–2.(अ) अनुसार)

10. यदि विपणन संघ द्वारा हमें / मुझे किराये के वाहन सौंपा जाता है तो हम / मैं नियमानुसार प्रतिभूति राशि एवं बैंक गारंटी जमा करके अनुबंध करने के लिये सहमत हैं / हूँ।

11. हम / मैं इसके द्वारा घोषित करते हैं / करता हूँ कि निविदा फार्म तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियां मेरे विश्वास एवं ज्ञान में सही है।

कार्यालय
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
480 सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)

नांक .....

स्थान .....

हस्ताक्षर .....

नाम .....

.....

फर्म का नाम .....

पूरा पता .....

हैसियत .....

मुहर .....

नोट :– इसमें अपेक्षित विवरण स्पष्ट रूप से भरे एवं संपूर्ण कॉलम में प्रविष्टि अतिआवश्यक है, अन्यथा अपेक्षित विवरण के अभाव में निविदा निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

छत्तीसगढ़ [illegible] संघ [illegible]
[illegible] रायपुर [illegible]

परिशिष्ट – 2

भाग – "अ"

(वित्तीय लिफाफा हेतु)

किराये का वाहन निविदा अवधि 01.04.2015 से 31.03.2016

निविदाकर्ता का नाम : .....

पता : .....

ट्रेवर्ल्स का नाम : .....

प्रति,

प्रबंध संचालक
छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित,
मुख्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

प्रिय महोदय,

1. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर परिवहन के कार्य हेतु प्रकाशित निविदा सूचना को पढ़कर हमने/मैंने कार्यालय में निर्धारित राशि जमा कर निर्धारित फार्म को हमने/मैंने निविदा के आमंत्रण में दिये गये निर्देशों/निविदा/संविदा शर्तों, नियमों तथा इसके परिशिष्ट में दिये गये विवरण को भली भांति पढ़ लिया है, उनको समझ लिया है तथा हम/मैं उनके पालन के लिए सहमत हैं/हूँ।

निविदा दर (पेट्रोल/डीजल)

क्र.	वाहन का प्रकार	डीजल/ पेट्रोल	अर्धदिवस किराया (6 घंटे 50 कि.मी.)		प्रतिदिन किराया (100 कि.मी.)		अतिरिक्त किराया प्रति कि.मि.
			ए.सी.	नॉन ए.सी.	ए.सी.	नॉन ए.सी.	
1.	सोनाटा, करोला, रकाडो, क्रूज एवं समतुल्य वाहन	पेट्रोल					
		डीजल					
2.	स्कार्पियो, ईनोवा, होंडा सिटी, टवेरा, वरना, ज्यालो एवं समतुल्य वाहन	पेट्रोल					
		डीजल					
3.	आई 20, न्यू रिवफट, स्फिट डिआयर, महिन्द्रा वेन्टो, महिन्द्रा बोलेरो, टाटा इंडिगो मांजा, टाटा इंडिगो सी एस, टाटा विस्टा, टाटा सूमो, एवं समतुल्य वाहन	पेट्रोल					
		डीजल					
4.	सेन्ट्रो, ओमनी, वेगनआर, ईको, इंडिका व्ही 2, एवं समतुल्य वाहन	पेट्रोल					
		डीजल					

हस्ताक्षर

कार्यालय
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (निविदाकार)
180 सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)

संलग्न .....
दिनांक.....
स्थान.....

सील

प्रमाण पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य है एवं मैने निविदा की सभी शर्तों एवं नियमों को पढ़ लिया गया है तथा मुझे मान्य है।

2. मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित द्वारा की गई किसी भी प्रकार की कार्यवाही मुझे मान्य होगी।

3. **उपरोक्त निविदा के संबंध में यदि किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो प्रबंध संचालक विपणन संघ या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधी का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।**

हस्ताक्षर

(निविदाकार)

संलग्न .....
दिनांक.....
स्थान.....

सील

निविदाकार के हस्ताक्षर व सील

कार्यालय
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
820 सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)

इकरारनामा

यह इकरारनामा दिनांक..... को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रायपुर तथा पक्ष मेसर्स .....की ओर से श्री..... वल्द..... जिला.....के निवासी है के बीच निष्पादित किया गया है।

यह कि, निविदाकर्ता द्वारा विपणन संघ में दिनांक ..... से दिनांक .... तक की अवधि इकरारनामा में दर्शायी गयी दरों एवं शर्तों पर स्वीकार किया गया हैं।

अनुबंध शर्तें

1. वाहन चालू एवं अच्छी हालत में हो। वाहन का पंजीयन, छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग में पंजीकृत होना चाहिए। टेक्सी परमीट, रोड टैक्स, कम्प्रेहेन्सिव इंश्योरेंस (बीमा), एवं वाहन चालक का वाहन चलाने का जीवित कर्मिशियल लायसेंस आदि वैधानिक व्यवस्था पूर्ण होना चाहिए। वाहन वर्ष 2012 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।
2. वाहन का उपयोग छत्तीसगढ़ राज्य में कहीं भी किया जा सकेगा।
3. वाहन चालक का वेतन, भत्ता आदि वाहन मालिक को देना होगा एवं वाहन चालक को अपने पास मोबाईल अनिवार्य रूप से चालू हालत में रखना होगा तथा मोबाईल नम्बर विपणन संघ में नोट कराना होगा।
4. किराये की गणना मासिक आधार पर विपणन संघ के अधिकार में वाहन आने के पश्चात से मानी जावेगी तथा दूरी की गणना विपणन संघ द्वारा वाहन रखे जाने हेतु निर्धारित किये गये स्थान से की जावेगी तथा किराये की गणना 3000 कि.मी. मासिक किराया का आधार मानकर औसत आधार पर किया जावेगा।
5. वाहन के रखरखाव से संबंधित सभी व्यय वाहन के मालिक को वहन करना होगा।
6. राशि 10,000/– रूपये प्रति वाहन का (फिक्स डिपाजिट) सिक्यूरिटि डिपाजिट, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, के नाम से निविदा फार्म के साथ जमा करना होगा।
7. वाहन का टायर ट्यूब एवं स्टेपनी हमेशा अच्छी हालत में अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
8. चालक द्वारा प्रतिदिन वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी से लॉगबुक लिखाना एवं प्रमाणित कराना होगा एवं हस्ताक्षर करवाना होगा। उसी के आधार पर किराया देय होगा।
9. वाहन चालक को साफ–सुथरा कपड़ा में अनुशासित एवं मर्यादित व्यवहार में रहना होगा।
10. वाहन का माईलोमीटर विधिवत कार्य करना चाहिए।
11. वाहन संतोषप्रद नहीं चलने पर अथवा वाहन चालक का व्यवहार खराब होने के कारण वाहन कभी भी वापस भेज दी जावेगी।
12. अनुबंध अवधि के अंतर्गत वाहन की सुरक्षा का सम्पूर्ण दायित्व वाहन मालिक/वाहन चालक का रहेगा। उपयोग अवधि में किसी भी प्रकार की घटना/दुर्घटना से यदि वाहन को कोई क्षति पहुंचती है तो इसकी जवाबदारी विपणन संघ की नहीं होगी।
13. वाहन किराये पर लेने व न लेने का अथवा किसी भी एजेन्सी का वाहन किराये पर लेने का अधिकार विपणन संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

कार्यालय
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
180 सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)

14. वाहन की लॉग बुक/लॉग कार्ड प्रतिदिन अनिवार्य रूप से वाहन चालक को नियमानुसार भरना होगा एवं संबंधित अधिकारी से प्रतिदिन हस्ताक्षर लिया जाना होगा व उक्त लॉग बुक/लॉग कार्ड मूलतः कार्यालय में देयक से साथ जमा करना होगा जो कि शासकीय अभिलेख होगा।
15. देयक तीन प्रतियों में मय लॉग बुक/लॉग कार्ड के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। देयक का भुगतान संभावित अविधि में चेक के माध्यम से किया जावेगा।
16. विपणन संघ द्वारा आवश्यकता नहीं होने पर किसी भी समय वाहन बंद किया जा सकता है।
17. देयक से नियमानुसार आयकर की कटौती होगी। वाहन स्वामी द्वारा निविदा के साथ पेन कार्ड की छायाप्रति देना होगा। अन्यथा नियमानुसार दुगनी दर से आयकर कटौती होगी। वाहन मालिक अन्य टैक्स/आयकर/सेवा शुल्क आदि भुगतान के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।
18. वाहन एवं वाहन चालक की पूर्ण जोखिम वाहन स्वामी का होगा। विपणन संघ की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
19. वाहन को विपणन संघ के परिसर/उपयोगकर्ता के निवास अथवा निर्देशानुसार स्थान में रखना होगा।
20. **जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जाती है, उसे स्वीकृत दरों पर दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक की अवधि हेतु अनुबंध करना होगा।**
21. **निविदा दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक वैध रहेगी। निष्पादित किये गये निर्धारित अनुबंध की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् आवश्यकतानुसार उभयपक्ष की सहमति से नियमानुसार समय में वृद्धि की जा सकेगी।**
22. **उपरोक्त निविदा के संबंध में यदि किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो प्रबंध संचालक विपणन संघ या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधी का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।**

गवाह :–

1. नाम .....
   पता .....
   .....
   हस्ताक्षर .....

पक्ष 01 छ0ग0 राज्य सहकारी विपणन संघ की ओर से

2. नाम .....
   पता .....
   .....
   हस्ताक्षर .....

पक्ष 02 निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील

कार्यालय
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
५६० सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)

परिपिष्ट – "4"

PRE-CONTRACT INTEGRITY PACT

1. GENERAL

1.1. This pre-bid contract Agreement (herein after called the Integrity Pact) is made on day of the month 20, between, the **Chhattisgarh State Co-operative Marketing Federation Ltd.** acting through Shri_____(Designation of the officer, Department) (hereinafter called the "**BUYER/PRINCIPAL**", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors in the office and assigns) and the First Party, proposes to procure (Name of the Stores/Equipment/Work/Service/Materials) and M/s._____ represented by Shri_____ Chief Executive Officer/Authorised Signatory (hereinafter called the "**BIDDER/SELLER/CONTRACTOR**", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors and permitted assigns) and the Second Party, is willing to offer/ has offered.

1.2. WHEREAS the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR is a Private Company/Public Company/ Government Undertaking/ Partnership/Registered Export Agency, constituted in accordance with the relevant law in the matter and the BUYER/PRINCIPAL is a Registered Co-operative Society under the provisions of Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 performing its function on behalf of the Government of Chhattisgarh.

2. OBJECTIVES

NOW, THEREFORE, the BUYER/PRINCIPAL and the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR agree to enter into this pre-contract agreement, hereinafter referred to as Integrity Pact, to avoid all forms of corruption by following a system that is fair, transparent and free from any influence/prejudiced dealings prior to, during and subsequent to the Contract to be entered into with a view to:-

2.1. Enabling the BUYER/PRINCIPAL to obtain the desired Stores/Equipment /Work/Service/Materials at a competitive price in conformity with the defined specifications by avoiding the high cost and the distortionary impact of corruption on public procurement, and.

2.2. Enabling BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to abstain from bribing or indulging in any corrupt practices in order to secure the contract by providing assurance to them that their competitors will also abstain from bribing any corrupt practices and the BUYER/PRINCIPAL will commit to prevent corruption, in any form, by its official by following transparent procedures.

3. COMMITMENTS OF THE BUYER/PRINCIPAL

कार्यालय
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
580 सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)

The BUYER/PRINCIPAL commits itself to the following:-

3.1. The BUYER/PRINCIPAL undertakes that no official of the BUYER/PRINCIPAL, connected directly or indirectly with the contract, will demand, take promise for or accept, directly or through intermediaries, any bribe, consideration, gift, reward, favour, or any material or immaterial benefit or any other advantage from the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either for themselves or for any person, organization or third party related to the contract in exchange for an advantage in the bidding process, bid evaluation, contracting or implementation process related to the contract.

3.2. The BUYER/PRINCIPAL will, during the pre-contract stage, treat all BIDDER /SELLER/CONTRACTORs alike, and will provide to all BIDDER/ SELLER/ CONTRACTORs the same information and will not provide any such information to any particular BIDDER/SELLER/CONTRACTOR which could afford an advantage to that particular BIDDER/SELLER/CONTRACTOR in comparison to the other BIDDER/SELLER/CONTRACTORs.

3.3. All the officials of the BUYER/PRINCIPAL will report the appropriate Government office any attempted or completed breaches of the above commitments as well as any substantial suspicion of such a breach.

In case any such preceding misconduct on the part of such official(s) is reported by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to the BUYER/PRINCIPAL with the full and verifiable facts and the same is *prima facie* found to be correct by the BUYER/PRINCIPAL, necessary disciplinary proceedings, or any other action as deemed fit, including criminal proceedings may be initiated by the BUYER/PRINCIPAL and such a person shall he debarred from further dealings related to the contract process. In such a case, while an enquiry is being conducted by the BUYER/PRINCIPAL, the proceedings under the contract would not be stalled.

4. COMMITMENTS OF BIDDER/SELLER/CONTRACTORS

The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR commits itself to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means and illegal activities during any stage of its bid or during any pre-contract or post-contract stage in order to secure the contract or in furtherance to secure it and in particular commit itself to the following:-

4.1. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not offer, directly or through intermediaries, any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage or inducement to any official of the BUYER/PRINCIPAL, connected directly or indirectly with the biding process, or to any person, organization or third party related to the contract in exchange for any advantage in the bidding, evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.2. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR further undertakes that it has not given, offered or promised to give, directly or indirectly any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage, or inducement to any official of the BUYER/PRINCIPAL or otherwise in procuring the Contract of forbearing to do or having done any act in relation to the obtaining or execution of the contract or any other contract with the Government for showing or forbearing to show favour or disfavour to any person in relation to the contract or any other contract with the Government.

4.3. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR further confirms and declares to the BUYER/PRINCIPAL that the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR is the original Manufacture/Integrator/Authorized government sponsored export entity of the stores and has not engaged any individual or firm or company whether Indian or foreign to intercede, facilitate or in any way to recommend to the BUYER/PRINCIPAL or any of its functionaries, whether officially or unofficially to the award of the contract to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, nor has any amount been paid, promised or intended to be paid to any such individual, firm or company in respect of any such intercession, facilitation or recommendation.

4.4. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either while presenting the bid or during pre-contract negotiations or before signing the contract, shall disclose any payment he has made, is committed to or intends to make to officials of the BUYER/PRINCIPAL or their family members, agents, brokers or any other intermediaries in connection with the contract and the details of s[illegible] agreed upon for such payments.

कार्यालय
राज्य सहकारी [illegible] मर्यादित
[illegible] लाईन (छ.ग.)

4.5. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not collude with other parties interested in the contract to impair the transparency, fairness and progress of the bidding process, bid evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.6. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not accept any advantage in exchange for any corrupt practice, unfair means and illegal activities.

4.7. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not use improperly, for purpose of competition or personal gain, or pass on to others, any information provided by the BUYER/PRINCIPAL as part of the business relationship, regarding plans, technical proposal and business details, including information contained in any electronic data carrier. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR also undertakes to exercise due and adequate care lest any such information is divulged.

4.8. The BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR commits to refrain from giving any complaint directly or through any other manner without supporting it with full and verifiable facts.

4.9. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not instigate or cause to instigate any third person to commit any of the acts mentioned above.

5. PREVIOUS TRANSGRESSION

5.1 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR declares that no previous transgression occurred in the last three years immediately before signing of this Integrity Pact with any other company in any country in respect of any corrupt practices envisaged hereunder or with any Public Sector Enterprise in India or any Government Department in India that could justify BIDDER's exclusion from the tender process.

5.2. If the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR makes incorrect statement on this subject, BIDDER/SELLER/CONTRACTOR can be disqualified from the tender process or the contract, if already awarded, can be terminated for such reason.

6. EARNEST MONEY (SECURITY DEPOSIT)

6.1. Every BIDDER/SELLER/CONTRACTOR while submitting commercial bid, shall deposit an amount as specified in RFP/Tender Documents as Earnest Money/Security Deposit, with the BUYER/PRINCIPAL through any of the following instruments:

(i) Bank Draft or a Pay Order in favour of...

(ii) A confirmed guarantee by an Indian Nationalised Bank, promising payment of the guaranteed sum to the ..... (BUYER/PRINCIPAL) on demand within three working days without any demur whatsoever and without seeking any reasons whatsoever. The demand for payment by the BUYER/PRINCIPAL shall be treated as conclusive proof of payment.

(iii) Any other mode or through any other instrument (to be specified in the RFP/Tender Documents).

6.2. The Earnest Money/Security Deposit shall be valid upto a period of five years or the complete conclusion of the contractual obligations to the complete satisfaction of both the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR and BUYER/PRINCIPAL, including warranty period, whichever is later.

6.3. In the case of successful BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, a clause would also be incorporated in the Article pertaining to Performance Bond in the Purchase Contract that the provisions of Sanctions for violation shall be applicable for forfeiture of Performance Bond in case of a decision by the BUYER/PRINCIPAL to forfeit the same without assigning any reason for imposing sanction for violation of this Pact.

6.4. No interest shall be payable by the BUYER/PRINCIPAL to the BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR on Earnest Money/Security Deposit for the period of its currency.

SANCTIONS FOR VIOLATIONS

.1. Any breach of the aforesaid provisions by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR or any one employed by it or acting on its behalf (whether with or without the knowledge of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR) shall entitle the BUYER/PRINCIPAL to take all or *any* one of the following actions, wherever required:-

(i) To immediately call off the pre contract negotiations without assigning any reason or giving any compensation to the BIDDER/SELLER /CONTRACTOR. However, the proceedings with the other BIDDER/ SELLER /CONTRACTOR(s) would continue.

(ii) To forfeit fully or partially the Earnest Money Deposit (in pre-contract stage) and/or Security Deposit/Performance Bond (after the contract is signed), as decided by the BUYER/PRINCIPAL and the BUYER/ PRINCIPAL shall not be required to assign any reason therefore.

(iii) To immediately cancel the contract, if already signed, without giving any compensation to the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR.

(iv) To recover all sums already paid by the BUYER/PRINCIPAL, and in case of the Indian BIDDER/SELLER/CONTRACTOR with interest thereon at 2% higher than the prevailing Prime Lending Rate of _____ (Name of the Bank/Financial Institution) while in case of a BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from a country other than India with Interest thereon at 2% higher than the LIBOR. If any outstanding payment is due to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from the BUYER/ PRINCIPAL in connection with any other contract such outstanding payment could also be utilized to recover the aforesaid sum and interest

(v) To encash the advance bank guarantee and performance bond/warranty bond, if furnished *by* the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR, in order to recover the payments, already made by the BUYER/PRINCIPAL, along with interest.

(vi) To cancel all or any other contracts with the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR and the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER/PRINCIPAL resulting from such cancellation/rescission and the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR.

(vii) To debar the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from participating in future bidding processes of the BUYER/ PRINCIPAL for a minimum period of five years, which may be further extended at the discretion of the BUYER/ PRINCIPAL.

(viii) To recover all sums paid in violation of this Pact by BIDDER/SELLER/CONTRACTOR(s) to *any* middlemen or agent or broken with a view to securing the contract.

(ix) In cases where irrevocable Letters of Credit have been received in respect of any contract signed by the BUYER/PRINCIPAL with the BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR, the same shall not be opened.

(x) If the BIDDER /SELLER/CONTRACTOR or any employee of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR or any person acting on behalf of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either directly or indirectly, is closely related to any of the officers of the BUYER/PRINCIPAL, or alternatively, if any close relative of an officer of the BUYER/PRINCIPAL has financial interest/stake in the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, the same

कार्यालय
... राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
सिविल लाईन्स, ... (छ.ग.)

shall be disclosed by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR at the time of tilling of tender. Any failure to disclose the interest involved shall entitle the BUYER/PRINCIPAL to rescind the contract without payment of *any* compensation to the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR.

The term 'close relative' for this purpose would mean spouse whether residing with the Government servant or not, but not include a spouse separated from the Government servant by a decree or order of a competent court; son or daughter or step son or step daughter and wholly dependent upon Government servant, but does not include a child or step child who is no longer in any way dependent upon the Government servant or of whose custody the Government servant has been deprived of by or under any law; any other person related, whether by blood or marriage, to the Government servant or to the Government servant's wife or husband and wholly dependent upon Government servant

(xi) The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not lend to or borrow any money from or enter into any monetary dealings or transactions, directly or indirectly, with any employee of the BUYER/PRINCIPAL, and if he does so, the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled forthwith to rescind the contract and all other contracts with the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR. The BIDDER /SELLER/ CONTRACTOR shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER/PRINCIPAL resulting from such rescission and the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR.

7.2. The decision of the BUYER/PRINCIPAL to the effect that a breach of the provisions of this pact has been committed by the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR shall be final and conclusive on the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR. However, the BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR can approach the Monitor(s) appointed for the purposes of this Pact.

8. FALL CLAUSE

8.1. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR undertakes that if has not supplied/is not supplying similar product/systems or subsystems at a price lower than that offered in the present bid in respect of any other Department of the Government of Chhattisgarh or PSU and if it is found at any stage that similar product/systems or sub systems was supplied by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to any other Department of the Government of Chhattisgarh or a PSU at a lower price, then that very price, with due allowance for elapsed time, will be applicable to the present case and the difference in the cost would he refunded by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to the BUYER/PRINCIPAL, if the contract has already been concluded.

9. INDEPENDENT' MONITORS

9.1. The BUYER/PRINCIPAL will appoint Independent Monitors (hereinafter referred to as Monitors) for this Pact.

9.2. The task of the Monitors shall be to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under this Pact.

9.3. The Monitors shall not be subject to instructions by the representatives of the parties and perform their functions neutrally and independently.

9.4. Both the parties accept that the Monitors have the right to access all the documents relating to the project/procurement, including minutes of meetings. The Monitor shall be under contractual obligation to treat the information and documents of the BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR Subcontractor(s) with confidentiality.

कार्यालय
...सगढ़ राज्य सहकारी विपणन ...
...80 सिविल लाईन्स, रायपु...

9.5. As soon as the Monitor notices, or has reason to believe, a violation of this Pact, he will so inform the Authority designated by *the* BUYER/PRINCIPAL.

9.6. The Monitor will submit a written report to the designated Authority of BUYER/PRINCIPAL/Secretary of the BUYER/PRINCIPAL within 8 to 10 weeks from the date of reference or intimation to him by the BUYER/ PRINCIPAL/ BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR and, should the occasion arise, submit proposals for correcting problematic situations

10. FACILITATION OF INVESTIGATION

in case of any allegation of violation of any provisions of this Pact or payment of commission, the BUYER/PRINCIPAL or its agencies shall be entitled to examine all the documents including the Books of Accounts of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR and the BIDDER/SELLER /CONTRACTOR shall provide necessary information of the relevant documents and shall extend all possible help for the purpose of such examination,

11. LAW AND PLACE OF JURISDICTION

This Pact is subject to Indian Law, the place of performance and jurisdiction shall be the seat of the BUYER/PRINCIPAL i.e at **RAIPUR Chhattisgarh**.

12. OTHER LEGAL ACTIONS

The actions stipulated in this Integrity Pact are without prejudice to any other legal action that may follow in accordance with the provisions of the any other law in force relating to any civil or criminal proceedings.

13. VALIDITY

13.1. The validity of this Integrity Pact shall be from the date of its signing and extend up to 5 years or the complete execution of the contract to the satisfaction of both the BUYER/PRINCIPAL and the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR whichever is later, In case BIDDER/SELLER /CONTRACTOR is unsuccessful, this Integrity Pact shall expire after six months from the date of the signing of the contract.

13.2. If one or several provisions of this Pact turn out to be invalid; *the* remainder of this Pact shall remain valid. In such case, the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.

14. The parties hereby sign this Integrity Pact at ..... on.....

BUYER/PRINCIPAL

BIDDER/SELLER/CONTRACTOR

Name of the Officer
CHIEF EXECUTIVE OFFICER/AUTHORISED SIGNATORY
Destination
Chhattisgarh State Co-operative Marketing Fed.Ltd.

Witness **Witness**

1) _____ 1) _____

2) _____ 2) _____

कार्यालय
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
५8Q सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)